

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt, of Haryana

No. 7-2017/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 12, 2017 (PAUSA 22, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

पश पालन तथा डेयरिंग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 जनवरी, 2017

संख्या सी0एफ0एम0एस0—1588.प0पा0—1—2017 / 594.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पशु चिकित्सा एवं सम्बद्ध (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1996, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. ये नियम हरियाणा पशु चिकित्सा एवं सम्बद्ध (ग्रुप ख) सेवा संशोधन नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा पशु चिकित्सा एवं सम्बद्ध (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1996 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में, "35" अंकों के स्थान पर, "42" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 3. उक्त नियमों में, नियम 15 में,--
 - (i) उप नियम (1) में, ''हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987'' शब्दों, कोष्ठकों, चिह्न तथा अंकों के स्थान पर, ''हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016'' शब्द, कोष्ठक, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) उप नियम (2) में, "हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1)" शब्दों, कोष्ठकों, चिह्न तथा अंकों के स्थान पर, "हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9" शब्द, कोष्ठक, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(61)

Price: Rs. 5.00

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 'क' के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-*''परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या		जोड़	वेतनमान	
		स्थाई	अस्थाई			
1	2	3	4	5	6	
			पशु चिकित्सा संव	र्ग		
1.	पशु चिकित्सक	1049		1049	9300-34800+5400 ग्रेड पे	
			पशु चिकित्सा इतर र	नंवर्ग		
1.	सांख्यिकीय अधिकारी	2	1 डिमिनिशिंग	3	9300-34800+4200 ग्रेड मे	
2.	लेखा अधिकारी	2 (1 मुख्यालय, 1 राजकीय पुश धन फार्म, हिसार)		2	9300-34800+5400 ग्रेड पे	
3.	स्थापना अधिकारी	1		1	9300-34800+4200 ग्रेड पे	
4.	अधीक्षक (मुख्यालय)	6		6	9300-34800+4200 ग्रेड ने	
5.	अधीक्षक (क्षेत्रीय)	1		1	9300-34800+4200 ग्रेड पे	
6.	चारा विकास अधिकारी	1	,	1	9300-34800+5400 ग्रेड पे	
7.	सहायक चारा विकास अधिकारी	1		1	9300-34800+3600 ग्रेड ो	
8.	डेयरी विस्तार अधिकारी	0		0	9300-34800+3600 ग्रेड ी	
9.	सहायक जिला न्यायवादी	1	•	1	9300-34800+4600 ग्रेड पे	

टिप्पण.— परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूरी होने के बाद, सेवा के सदस्य (केवल पशु चिकित्सा संवर्ग) हरियाणा पशु चिकित्सा (ग्रुप क) सेवा के सदस्य बन जाएंगे।"।

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 'ग' के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 15 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नाम नियुक्ति शास्ति का स्वरुप प्राधिकारी		शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
	पशु चिकित्सा संवर्ग	सरकार	छोटी शास्तियां: —	सरकार	- 3
1.	पशु चिकित्सक		(i) वैयक्तिक फाइल पर प्रति रखते हुए चेतावनी;		
	पशु चिकित्सा इतर संवर्ग		(ii) परिनिन्दा ;(iii) एक वर्ष तक की विनिर्दिष्ट अवधि के		9
1.	सांख्यिकीय अधिकारी		लिए पदोन्नति रोकना ;		3
2.	स्थापना अधिकारी		(iv) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी कम्पनी तथा संस्था या व्यष्टि—निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, को जो पूर्ण रूप से या		
3.	अधीक्षक (मुख्यालय)		सारभूत रूप से सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अथवा		
4.	अधीक्षक (क्षेत्रीय)	-	संसद या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण की उपेक्षा या		
5.	चारा विकास अधिकारी		आदेशों के उल्लंघन द्वारा हुई किसी धन सम्बन्धी हानि की पूरी या इसके		i i
6.	सहायक चारा विकास		भाग की, वेतन से वसूली; तथा	9	1
	अधिकारी		(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन— वृद्धि (वेतन—वृद्धियां) रोकना;		7
7.	डेयरी विस्तार अधिकारी		बड़ी शास्तियां.—		1
			(i) संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि (वेतन—वृद्धियां) रोकना;	*	
		l=	(ii) एक वर्ष से अधिक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पदोन्नति रोकना;		,
			(iii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन ब्रैंड या वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर	-	, * ·
			अवनति, ऐसे विशिष्ट निर्देशों सहित कि क्या अवनति की विनिर्देष्ट अवधि	1.	.2
			के प्रचलन के दौरान सामान्य वेतनवृद्धि अनुज्ञेय होगी या नहीं, तथा आगे, क्या अवनति की अवधि की समाप्ति पर, उसका वेतन प्रत्यावर्तित	,	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
			किया जाना है या नहीं;		215

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरुप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
			(iv) निम्नतर वेतन ढांचा, पद या सेवा पर एक वर्श की अविध से अधिक के लिए अवनित जिससे सरकारी कर्मचारी पदोन्नत किया गया था । जो वेतन ढांचा, पद या सेवा जिससे सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया है, पर सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया है, पर सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति के लिए, ऐसे वेतन ढांचा, पद या सेवा जिससे कर्मचारी अवनत किया गया था, उस वेतन ढांचा, पद या सेवा में ऐसी बहाली पर उसकी वरिष्ठता तथा वेतन के बारे में भार्तों संबंधी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना साधारणतया रोक होगी: (v) अनिवार्य सेवानिवृत; (vi) सेवा से हटाया जाना;		

रजनी शेखरी सिब्बल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पशु पालन तथा डेयरिंग विभाग, चण्डीगढ़।

HARYANA GOVERNMENT

ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING DEPARTMENT

Notification

The 12th January, 2017

No.CFMS-1568-AH-2017/594.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Veterinary and Allied (Group B) Service Rules, 1996, namely:-

- 1. These rules may be called the Haryana Veterinary and Allied (Group B) Service (Amendment) Rules, 2017.
- 2. In the Haryana Veterinary and Allied (Group B) Service Rules, 1996 (hereinafter called the said rules), in rule 5, for the figure "35", the figure "42" shall be substituted.
- In the said rules, in rule 15,
 - in sub-rule (1), for the words, signs and figures "the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987", the words, signs and figures "the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016" shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (2), for the words, signs and figures "sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987", the words, signs and figures "rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016", shall be substituted.

4. In the said rules, for Appendix 'A', the following Appendix shall be substituted, namely:"APPENDIX A

(See rule 3)

		(See Fi	aie 3)		
Serial No.	Designation of posts	Number of Posts		Total	Scale of pay
	3	Permanent	Temporary	-	
1	2	3	4	5	6 :
		VETERINAL	RY CADRE		
1	Veterinary Surgeon	1049		1049	9300-34800+540 G.P.
		NON VETERIN	IARY CADRE		• .
1	Statistical Officer	2	1 Diminishing Cadre	3	9300-34800+4200 G.P.
2	Accounts Officer	2 One H.Q. One GLF Hisar		2	9300-34800+5400 G.P.
3	Establishment Officer	1		1	9300-34800+4200 G.P.
4	Superintendent, Head Qtrs.	6		6	9300-34800+420'0 G.P.
5 ,	Superintendent (Field)	1		1	9300-34800+4200 G.P.
6	Fodder Development Officer	1		1	9300-34800+5400 G.P.
7	Assistant Fodder Development Officer	1		1	9300-34800+3600 G.P.
8	Dairy Extension Officer	0		0	9300-34800+3600 G.P.
9.	Assistant District Attorney	1		1	9300-34800+46(*) G.P.

Note.— After the satisfactory completion of the period of probation, the member of service (Veterinary Cadre on y) shall become member of Haryana Veterinary (Group A) Service".

5. In the said rules, for Appendix 'C', the following Appendix shall be substituted, namely:-

"APPENDIX C

[See rule 15 (1)]

			[See rule 15 (1)]		· · · · · ·
Sr. No.	Designation of Appointing authority Nature of penalty		Authority empowered to impose penalty	Appellace authority	
1	2	3	4	5	. 6
	Veterinary cadre	Government	Minor Penalties:	Government	_ :
1.	Veterinary Surgeon		(i) warning with a copy in the personal file;		પં
	Non veterinary cadre		(ii) censure; (iii) withholding of promotion for a		į
1.	Statistical Officer		specified period upto one year;		
2.	Establishment Officer	·	(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by		설 -
3.	Superintendent Head Quarter		negligence or breach of orders, to the Central Government or a State		. A
4.	Superintendent Field		Government or to a Company and association or a body of individuals		
5.	Fodder Development		whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or		·
	Officer		controlled by the Government or to a local authority set up by an Act of		į
6.	Assistant Fodder Development	·	Parliament or of the legislature of a State; and		•
7.	Officer Dairy Extension		(v) withholding of increment(s) without cumulative effect.	,	£1.7%
	Officer		Major Penalities:	i	•
			(i) withholding of increment(s) with cumulative effect;		#
	•		(ii) withholding of promotion for a specified period more than one year;		
			(iii) reduction to a lower stage in the pay band or pay scale for a specified		\tilde{t} ,
4			period, with the specific directions as to whether normal increment shall be admissible or not during the		·
			currency of the specified period of reduction, and further, whether on		:
•			the expiry of the period of reduction his pay is to be restored or not;		
			(iv) reduction to a lower pay structure, post or service for a period of more		• :
			than one year from which he has been promoted which shall		;
	•		ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the		,
			pay structure, post or service from which he was reduced, with or		4
			without further directions regarding conditions of restoration to the pay		· .
			structure, post or service from which the Government employee	'	. **

Designation post	of	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellare authority
2		3	4	5	6
		s	was reduced and his seniority and pay on such restoration to that pay structure, post or service;	18	
			(v) compulsory retirement;	*	
				post authority 2 3 4 was reduced and his seniority and pay on such restoration to that pay structure, post or service;	post authority empowered to impose penalty 2 3 4 5 was reduced and his seniority and pay on such restoration to that pay structure, post or service; (v) compulsory retirement; (vi) removal from service;

RAJNI SEKHRI SIBAL, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Animal Husbandry & Dairying Department.

54919—C.S.—H.G.P., Chd.